

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2011


विषय: पशुचिकित्साधिकारियों के स्नातकोत्तर भत्ते की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3489/स्था०एक/स्ना० भत्ता-प०चि०अ० /2010-11 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- जी-1-927/दस 265/88 दिनांक 05.07.1989 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-2959/XV-1/09/7(28)/08 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग के डिग्री/डिप्लोमा धारक निम्नलिखित पशुचिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथि से ₹ 400/- प्रतिमाह स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने के सर्हष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत करने की तिथि
1.	डा० आर०एस० नेगी	06 नवम्बर, 2009
2.	डा० अनोज डिमरी	06 नवम्बर, 2009
3.	डा० योगेश शर्मा	06 नवम्बर, 2009
4.	डा० गुरुप्रीत सिंह	06 नवम्बर, 2009
5.	डा० मुकेश चन्द पाण्डे	06 नवम्बर, 2009
6.	डा० कमल तिवारी	01 जुलाई, 2009
7.	डा० श्वेता यादव	02 जुलाई, 2009
8.	डा० महेन्द्र कुमार	06 नवम्बर, 2009
9.	डा० अदिति शर्मा	06 नवम्बर, 2009
10.	डा० प्रमोद कुमार पाठक	06 नवम्बर, 2009
11.	डा० संजीव कुमार शर्मा	06 नवम्बर, 2009
12.	डा० महेन्द्र कुमार	06 नवम्बर, 2009
13.	डा० मुकेश कुमार गौड़	06 नवम्बर, 2009
14.	डा० निशान्त शर्मा	06 नवम्बर, 2009
15.	डा० सरेन्द्र सिंह गर्ब्याल	06 नवम्बर, 2009
16.	डा० संजय कुमार शर्मा	01 नवम्बर, 2010

रवा
DAH
12-1-11



17.	डा० संजय कुमार बसेड़ा	01 नवम्बर, 2010
18.	डा० बी०सी०कर्नाटक	06 नवम्बर, 2009
19.	डा० राहुल सती	06 नवम्बर, 2009
20.	डा० निधि आर्या	06 नवम्बर, 2009
21.	डा० कंचन पांगती	06 नवम्बर, 2009
22.	डा० तरुणा बैला	06 नवम्बर, 2009
23.	डा० अनिल कुमार रावत	06 नवम्बर, 2009
24.	डा० संजीव पत	06 नवम्बर, 2009
25.	डा० दुष्यंत शर्मा	06 नवम्बर, 2009
26.	डा० राजेन्द्र सिंह बिष्ट	06 नवम्बर, 2009
27.	डा० मनीष पटेल	06 नवम्बर, 2009
28.	डा० मोहमद नवाजिश	06 नवम्बर, 2009
29.	डा० संदीप रावत	06 नवम्बर, 2009
30.	डा० सुनील कुमार बिन्जोला	06 नवम्बर, 2009
31.	डा० अशोक कुमार	06 नवम्बर, 2009
32.	डा० प्रेम कुमार	06 नवम्बर, 2009
33.	डा० पूर्णिमा मिश्रा	06 नवम्बर, 2009
34.	डा० सावन पंवार	06 नवम्बर, 2009
35.	डा० लोकेन्द्र कुमार	06 नवम्बर, 2009
36.	डा० रविन्द्र शुक्ला	06 नवम्बर, 2009
37.	डा० कृष्ण कुमार मिश्र	06 नवम्बर, 2009
38.	डा० सुनील कुमार	06 नवम्बर, 2009
39.	डा० मनोज कुमार जोशी	06 नवम्बर, 2009
40.	डा० चेतना धपोला	06 नवम्बर, 2009
41.	डा० वरुण कुमार	06 नवम्बर, 2009
42.	डा० राजाबाबू गुप्ता	06 नवम्बर, 2009
43.	डा० बिरेन्द्र सिंह	06 नवम्बर, 2009
44.	डा० देवेन्द्र शर्मा	06 नवम्बर, 2009
45.	डा० सत्येन्द्र सिंह	06 नवम्बर, 2009
46.	डा० हिमाशुं पाण्डे	06 नवम्बर, 2009
47.	डा० अनुपमा शर्मा	06 नवम्बर, 2009
48.	डा० मनवीर सिंह	06 नवम्बर, 2009
49.	डा० बृजेश रावत	06 नवम्बर, 2009
50.	डा० पूजा पटेल	06 नवम्बर, 2009
51.	डा० मंजू असवाल	01 फरवरी, 2010
52.	डा० हरि सिंह बिष्ट	06 नवम्बर, 2009
53.	डा० अमित कुमार राय	06 नवम्बर, 2009
54.	डा० निशान्त सैनी	06 नवम्बर, 2009
55.	डा० ऋचा सिंह	06 नवम्बर, 2009
56.	डा० लिपि कालेश्वरी	06 नवम्बर, 2009
57.	डा० अमितपाल पंवार	06 नवम्बर, 2009
58.	डा० मोहम्मद रियाज	06 नवम्बर, 2009
59.	डा० अमित कुमार माहेश्वरी	06 नवम्बर, 2009

2. कृपया उक्त अधिकारियों को डिग्री/डिप्लोमा हेतु स्वीकृत धनराशि के भुगतान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या :- 3069 / XV-1 / 2011 / 7(28)2008 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, पशुपालन कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
7. एन०आई०सी०।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी० बी० ओली)
संयुक्त सचिव

(1)

संख्या-2954 / XV-1 / 09 / 7(28) / 08

प्रेषक,
विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 6 नवम्बर, 2009

विषय: डिग्री/डिप्लोमाधारक पशुचिकित्साधिकारियों को अनुमन्य स्नातकोत्तर योग्यता भत्ते का संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-जी-1-92 / दस 265 / 88 दिनांक 5 जुलाई, 1989 द्वारा पशुपालन विभाग के स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारकों के लिए रु० 200 प्रति मास स्नातकोत्तर भत्ता अनुमन्य किया गया। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डिप्लोमा/डिग्रीधारक पशुचिकित्साधिकारियों को अनुमन्य भत्ते को निम्नवत् संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्रीधारक के लिए रु० 400/-प्रतिमाह
2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 5 जुलाई, 1989 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें पूर्व शासनादेश के अनुसार प्रभावी रहेंगी। उक्त संशोधित बरों पर स्नातकोत्तर भत्ता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से देय होगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-2706/XXVII(7)/2009 दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या-2954 (1) / XV-1 / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समत वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. उप निदेशक, पशुपालन कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन०आई०सी०।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

10/11/09

AD(AH)
10-11-09